न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
158 / 2022	20.12.2022	24.01.2023

अनवान

1. रामचन्द्र पिता चम्पालाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

——प्रार्थी

बनाम

1. पप्पु पिता चम्पालाल जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. राजु पुत्र चम्पालाल जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. मोहनलाल पुत्र पेमा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. रामलाल पुत्र उंकार जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
5. उदी पत्नी उंकार जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
6. किशोर पुत्र पेमा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
7. शंकर लाल पुत्र हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
8. कालु पुत्र प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
9. नाथु पुत्र रामलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
10. नारूबाई पत्नी रामलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
11. भेरू पुत्र बरदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
12. भगवानलाल पुत्र हिरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
13. चम्पालाल पुत्र जीतु जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

14. गोपीलाल पुत्र जीतु जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
15. हिरालाल पुत्र जीतु जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
16. प्यारचन्द पिता चेना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
17. शंकर पिता किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
18. नारायण पिता भोगा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
19. जमनालाल पिता कालु जाति जैन आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
20. सोहनी पत्नी रामलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
21. अली मोहम्मद पिता यार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी रघुनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
22. रामचन्द्र पिता गोकल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
23. गणेश पिता भेरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
24. नानुराम पिता वरदा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
25. नारायण दत्तक पुत्र पोखर जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

——**अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी प्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 261 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1183, 1188, 1189, 1191, 135, 1614, 166, [illegible], 175, 176, 1773, 977, 978, 979 कुल किता 14 कुल रकबा 5.12 है0 तथा खाता संख्या 389 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1182 रकबा 0.42 है0 स्थित है। जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.01.2023 को अप्रार्थी सं0 22 स्वयं हाजिर। पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अप्रार्थी सं0 4, 5, 7 से 18, 20, 21, 22, 24, 25 हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। बहस एकतरफा बाबत निवेदन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 261 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1183, 1188, 1189, 1191, 135, 1614, 166, 174, 175, 176, 1773, 977, 978, 979 कुल किता 14 कुल रकबा 5.12 है0 तथा खाता संख्या 389 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1182 रकबा 0.42 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर [illegible] कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.01.[illegible]3 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official